

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए-4 ( ) लेखा/बीएनपी/2011/

जयपुर दिनांक :

अधीक्षक, संलग्न चिकित्सा समूह संघ, समस्त।  
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडीकल कॉलेज, अजमेर/जोधपुर।  
प्रधानाचार्य, हीराबाग जयपुर।  
समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।  
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय।  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।  
समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।  
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, के.एन.टी.बी.सी. अजमेर।  
समस्त, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क्षय नियंत्रण इकाई।  
समस्त सहायक औषधि नियंत्रक  
मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जयपुर।  
राजकीय विश्लेषक, जयपुर।  
समस्त जिला कुष्ठ रोग अधिकारी/प्रभारी कुष्ठ नियंत्रण इकाई।  
विभागाध्यक्ष, डिप्लोमा कोर्स इन फार्मसी, जयपुर।  
कार्यालयाध्यक्ष तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

विषय :- आगामी वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय व्ययक अनुमान एवं चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के संशोधित अनुमान को ऑन-लाईन करने बाबत।

संदर्भ :- निदेशालय का समसंख्यक पत्रांक : 2881 दिनांक 02.09.2011

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय व्ययक अनुमान एवं चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के संशोधित अनुमान को ऑन-लाईन कर सूचना प्रेषित की जानी चाहिए थी किन्तु आप द्वारा आज दिनांक 3.11.2011 तक भी बजट प्रस्तावों को ऑन-लाईन नहीं किया गया है। बजट प्रस्तावों को ऑन-लाईन नहीं किये जाने की स्थिति को वित्त विभाग द्वारा गम्भीरता से लिया गया है। विभाग के अधीन सभी कार्यालयों एवं जिन कार्यालयों को निदेशालय द्वारा बजट आवंटित किया जाता है उन सभी मदों के बजट प्रस्तावों को ऑन-लाईन किया जाना है। इसके अभाव में विभाग की बीएफसी को वित्त विभाग द्वारा अन्तिम रूप नहीं दिया जावेगा। अतः संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार बजट प्रस्तावों को दिनांक 8.11.2011 तक अनिवार्य रूप से ऑन-लाईन किया जाना सुनिश्चित करावें।

बजट ऑन-लाईन करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं की पालना किया जाना सुनिश्चित करें :-

1. निदेशालय को प्रस्तुत किये गये बजट प्रस्ताव के अनुरूप ही सभी प्रपत्रों की सूचनायें ऑन-लाईन की जावे।
2. बजट प्रस्ताव की राशि सहस्त्रों में ही ऑन-लाईन की जावे। (उदाहरणार्थ रु. 1372 को 1.372, रु. 17840 को 17.840, रु. 215648 को 215.648, रु. 1012000 को 1012.000 फीड किया जाना है)
3. दिनांक 5.11.2011 से दिनांक 7.11.2011 तक राजकीय अवकाशों में कार्यालय खोलकर बजट प्रस्तावों को ऑन-लाईन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. दिनांक 8.11.2011 तक अनिवार्य रूप से बजट प्रस्ताव ऑन-लाईन कर सूचना प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

दिनांक 8.11.2011 तक बजट प्रस्ताव ऑन-लाईन नहीं किये जाने की स्थिति में वेतन एवं अन्य बिलों के भुगतान में विलम्ब हो सकता है साथ ही दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावेगी।

६०

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4 ( ) लेखा/बीएनपी/2011/ 4102

दिनांक : 3-11-2011

प्रतिलिपि प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय, कृपया इस पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर